

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 310 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्रीमती नीलम तोपनो

- विक्रेता

श्रीमती सलोनी तानी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
01.08.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्रीमती नीलम तोपनो पति श्री सुनील आईन्द ग्राम-उकड़ीमाडी पाकर टोली थाना तोरपा, जिला खूँटी ने श्रीमती सलोनी तानी पति श्री डहरू तानी ग्राम-हुसीर टंगराटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="279 694 1380 817"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तोरपा</td> <td>53</td> <td>148</td> <td>3406</td> <td>0.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0096367974 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 787 दिनांक 31.12.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०-1817/1760 दिनांक 17.12.16 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम लालु तेली वगैरह है। पंजी II के अनुसार नीलम तोपनो के नाम भूमि का रकबा 0.04 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.04 एकड़ के आलावा अन्य मौजा उकरीमारी खाता सं० 21 से रकबा 4.14 एकड़ है कुल रकबा 4.18 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अडसठ हजार चार सौ एक)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 4.14 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्रीमती नीलम तोपनो पति श्री सुनील आईन्द को श्रीमती सलोनी तानी पति श्री डहरू तानी के साथ ग्राम तोरपा के खाता सं० 148 खेसरा संख्या 3406 का कुल रकबा 0.04 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अडसठ हजार चार सौ एक)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">31/08/19</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">31/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	तोरपा	53	148	3406	0.04	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
तोरपा	53	148	3406	0.04								